उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
संख्या-55/2020/428/92-2-20-36जांच्/2018
लखनऊ:: दिनांक:: 20 फरवरी 2020

कार्यालय ज्ञाप

जनपद-बुलंदशहर के ग्राम नूरपुर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम में वर्ष 2016-17 में निर्मित सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य एवं सेवानिवृत्त होने से पूर्व अपना कार्यभार विधिवत न सौपे जाने में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-137/2018/2632/92-2-18-36जांच/2018 दिनांक 18-10-2018 द्वारा श्री हरिओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्देद-351ए के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र संख्या-5108/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/ सहा0अभि0/ 2018-19 दिनांक 30-01-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में यद्यपि अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया, परन्तु जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से इतर मत रखते हुये शासन के पत्र सं0-1426/92-2-19-36जॉच/2018 दिनांक 01.08.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया जो कि उनके पत्र दि0 17.09.2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 04 आरोपों में से कोई भी स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री हरिओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-137/2018/2632/92-2-18-36जांच/18 दिनांक 18-10-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-55/2020/428 /(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री हरिओम गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।